भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1534
उत्तर देने की तारीख 04 दिसम्बर, 2024

जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्रों में डाकघर

1534. श्री कीर्ति आज़ाद :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू और कश्मीर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में डाकघर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि जम्मू और कश्मीर में एक-एक डाकघर को 130.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो जम्मू और कश्मीर के दूरस्थ के क्षेत्रों में डाकघरों की पहुंच बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक-एक डाकघर को 60.51 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करना पड़ता है; और

(च) यदि हां, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के दूरदराज के क्षेत्रों में डाकघरों की पहुंच बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (घ) डाक, वित्तीय और बीमा संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8755 डाकघर और जम्मू व कश्मीर में 1617 डाकघर प्रचालनरत हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू व कश्मीर में स्थित डाकघरों की संख्या **अनुबंध** में दी गई है।

जम्मू व कश्मीर में 1617 डाकघर प्रचालनरत हैं, जो प्रति डाकघर औसतन 74.43 वर्ग कि. मी. के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करते हुए राज्य के कुल 1,20,355 वर्ग कि. मी. क्षेत्र को कवर करते हैं। अतः प्रत्येक डाकघर द्वारा सेवित औसत क्षेत्र का दायरा 4.86 कि. मी. है। नए डाकघर खोले जाना एक सतत प्रक्रिया है। नए डाकघर, निर्धारित मानदंडों के आधार पर ऐसे क्षेत्रों में खोले जाते हैं, जहां उन्हें खोला जाना आवश्यक व औचित्यसम्मत हो। जम्मू व कश्मीर के दूरस्थ और बैंकिंग सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों तक डाकघरों की पहुंच का विस्तार करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 34 नए डाकघर खोले गए हैं।

(ङ) और (च) पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8755 डाकघर प्रचालनरत हैं, जो प्रति डाकघर औसतन 29.95 वर्ग कि. मी. के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करते हुए राज्य के कुल 2,62,190 वर्ग कि. मी. क्षेत्र को कवर करते हैं। अतः प्रत्येक डाकघर द्वारा सेवित औसत क्षेत्र का दायरा 3.09 कि. मी. है। जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है कि नए डाकघर खोले जाना, एक सतत प्रक्रिया है। नए डाकघर, निर्धारित मानदंडों के आधार पर ऐसे क्षेत्रों में खोले जाते हैं, जहां उन्हें खोला जाना आवश्यक व औचित्यसम्मत हो। पूर्वोत्तर क्षेत्र के दूरस्थ और बैंकिंग सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों तक डाकघरों की पहुंच का विस्तार करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 1631 नए डाकघर खोले गए हैं।

अनुबंध

"जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्रों में डाकघर" विषय के संबंध में दिनांक 04 दिसंबर, 2024 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 1534 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम**	**डाकघरों (प्रधान डाकघरों, उप-डाकघरों, शाखा डाकघरों) की कुल संख्या**
1	पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम शामिल है	8,755
2	जम्मू व कश्मीर	1,617

*****